International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –5.681
Vol.5 No.6 July-August 2018

# आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की सुदृढ़ता और जागरूकता

**डॉ. कल्पना निरंजन**
एसोसिएट प्रॉफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)
आर्यकन्या पी.जी. कॉलेज, झाँसी

स्त्री शक्ति सम्पूर्ण आबादी का ५० प्रतिशत हिस्सा है स्त्री शक्ति राष्ट्र शक्ति का अभिन्न अंग होती है जिसे सशक्त और शामिल किये बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता। किसी संस्कृति को अगर समझना है तो सबसे आसान तरीका है कि उस संस्कृति में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया जाये। नारी की सुदृढ़ एवं सम्मान जनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध तथा मजबूत समाज की द्योतक है।

वर्तमान की नारियां प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। शिक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं में नवीन चेतना भर दी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका की वृद्धि हो रही है। आज महिलायें राजनीति बिजनेस, कला तथा खेल सहित रक्षा क्षेत्र में भी नये आयाम गढ़ रही हैं हाल ही में अवनी चतुर्वेदी सहित तीन लड़कियों को वायुसेना में फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति प्रदान की गयी है। यह उनकी कार्यक्षमता का द्योतक है। पहले युद्ध क्षेत्र जिनमें सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था जैसे प्लेन, ट्रक, ऑटो चलाना, अर्मी फोर्स, मिसाइल, सेना आदि आज हर क्षेत्र में महिलाओं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वरन पुरुषों से बेहतर हैं न कि कमतर। महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक रूप से आत्म निर्भर महिला भौतिक या आधत्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर आत्मविश्वास से लवरेज (भरी हुयी हैं) हैं।

देखते-देखते कल तक जो महिलाएँ घर की चार दीवारी से बाहर निकलने में झिझकती थी वह आज राजनैतिक व्यवस्था, पंचायती राज और विभिन्न क्षेत्रों में कुशल नेतृत्व कर रही हैं। महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली ने यह सिद्ध कर दिया है कि क्षेत्र विशेष के विकास और वहाँ की मूलभूत समस्याओं के निराकरण और लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों को सुलभ कराने में उनकी भूमिका न केवल बेहतर है वरन् सकारात्मक है। स्वातंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में महिलाओं को बराबरी के साथ लाने का प्रयास जारी है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस सामाजिक व्यवस्था को भोगा था, उसमें उन्होंने स्त्री की दुर्दशा को निकट से जाना था उनका मानना था कि समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे-स्त्री को शिक्षा से दूर रखना, पति की दासी मानना, पिता या पुत्र पर आश्रित होना, स्वनिर्णय से दूर रखना ये सब ऐसी बातें हैं जो महिलाओं के विकास को तो अवरूद्ध करते ही हैं समाज व राष्ट् के विकास को भी बाधित करते हैं इसलिए उनका मानना थ कि "यदि देश व समाज को उन्नत करना है तो वहाँ की महिलाओं को आगे बढ़ाना, सशक्त बनाना आवश्यक है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद १५,१६, एवं १९ में महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार प्रदान किये गये, साथ ही नीति निर्देशक सिद्धान्तों में राज्य से यह उपेक्षा की गई कि वे महिलाओं के विकास हेतु विशिष्ट प्रयास करेगा। डॉ. अम्बेडकर न इन नीति-निर्देशक तत्वों के संबंध में संविधान सभा में कहा था कि "हमें राजनीतिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करनी है और उसके लिए निर्देशक तत्व हमारे आदर्श हैं। पूरे संविधान का उद्देश्य इन आदर्शों का पालन करना है, निर्देशक तत्व सरकार के लिए जनता का आदेश-पत्र है। जनता ही उनका बल है और जनता किसी भी कानून से अधिक शक्तिशाली है। भारतीय संविधान समाज, कानून में महिलाओं को आज जो सुविधाएँ प्राप्त है। उसके बल पर उन्होंने आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार हेतु भी महिलाओं को संगठित होने का परामर्श दिया वे स्त्रियों की आत्मनिर्भरता के शुरू से पक्षधर थे व स्त्रियों की पुरूषों पर आश्रितता के लिए मनुवादी संस्कृति को जिम्मेदार मानते थे उनका मानना था कि स्त्री का विकास ही समाज विकास का मापदण्ड है।

महिला विकास को यथार्थ रूप देने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा "राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति-२००१" की घोषणा की गयी। इस नीति का लक्ष्य देश में महिलाओं की उन्नति विकास तथा शक्ति सम्पन्नता है। महिलाओं के लिए सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के माध्यम से विकासात्मक वातावरण का सृजन किया जायेगा तथा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा समस्त मौलिक अधिकारों तथा मानवाधिकारों के वस्तुतः उपयोग हेतु वातावरण तैयार करने हेतु प्रयास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को पुष्ट करने के लिए सभी स्तरों पर लिए जाने वाले निर्णयों में महिलाओं को भगीदार बनाया जाएगा तथा महिलाओं को मुख्यधारा में लाने वाले सभी तंत्रों तथा प्रयासों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी।" महिला सशक्तिकरण की यह नीति महिलाओं के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, इसके साथ ही कई राज्यों में महिला आयोगों का भी गठन हो चुका है। राज्य सरकारें भी महिला कल्याण हेतु, कन्यादान योजना, कन्या विद्याधन योजना, महिला समूहों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना, पंचधारा, योजना, वात्सल्य योजना, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना, कल्पवृक्ष योजना, जाबलि योजना, इंदिरा सहारा योजना, राजलक्ष्मी योजना, इंदिरा सूचना शक्ति योजना, अपनी बेटी अपना धन योजना, कामधेनु योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रतिभा किरण योजना, गाँव की बेटी, योजना आदि। निःसंदेह राज्य सरकारों द्वारा संचालित इन महिला कल्याण कार्यक्रमों से महिला सशक्तिकरण को एक नई ऊर्जा मिली है।

इस प्रकार भारत में व्यवहारिक दृष्टि से महिला विकास के निम्न चार दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं:-

१. महिला उत्थान
२. महिला कल्याण
३. महिला विकास
४. महिला सशक्तिकरण

भारत में महिला अवधारणा परिवर्तित होती रही है। आधुनिक काल के प्रारम्भ में महिला उत्थान, १९७० के दशक में महिला कल्याण, १९८० के दशक में महिला विकास और १९९० के दशक के बाद महिला सशक्तिकरण के रूप में इसे देखा जा सकता है।"

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करते हैं तो सहज ही पायेंगे कि यहां सत्ता के गलियारे में ही नहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़-चढ़कर परिलक्षित हो रही है। आर्थिक विकास को अथवा भारी उद्योग इंजीनियरिंग, चिकित्सा, अंतरिक्ष या वैज्ञानिक शोध के सभी क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं ने अपनी योग्यता एवं दक्षता प्रमाणित की है। इस प्रकार महिलायें तेजी से विकास व महिला सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है।" नीरा देसाई का इस सम्बन्ध में कहना है कि अब नारी को न तो बच्चा जनने की मशीन और न घर की दासी माना जाता है, उसने एक नया दर्जा और नई सामाजिक महत्ता प्राप्त कर ली है।" आज वह अपनी सशक्तता का बोध करा रही है। यह कहकर लांघ दे दीवारें दुनिया की, छोड़ बंधन ये परतंत्रता, का, बढ़ आगे डर मत नारी, ढूंढ रास्ता अपनी प्रगति का। वस्तुतः समाजीकरण प्रक्रिया नारी पर ही पूर्णरूपेण अवलंबित है, किन्तु नवीन परिवेश व बदले आयामों के अनुरूप वैचारिक परिवर्तनों के अभाव में स्त्रियों के स्वावलंबी होने की प्रक्रिया में उनके जीवन में अपने परिवर्तन आये हैं, साथ ही उन्हें अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। अनेक संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद स्त्री चाहे वह उच्च पदाधिकारी ही क्यों न हो आहत मन के साथ पारिवारिक और सामाजिक शोषण की शिकार है। २००५-०६ में बैंग्लौर में हुए एक सर्वे में यह बात सामने आयी कि ८० प्रतिशत कामकाजी महिलाएं गृहणियों की तुलना में पति व ससुराल वालों की प्रताड़ना की ज्यादा शिकार होती हैं, जहां ऐसे शोध महिला सशक्तिकरण की वास्तविकता को सामने लाते हैं, वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण हेतु निर्मित कानूनों से उत्पन्न सामाजिक समस्या का दूसरा चिंतनीय पक्ष भी सामने आता है।" भारत में अनादिकाल से पति-पत्नी एक दूसरे के लिए जीते और मरते थे। लेकिन आज सरल, सौम्य, पतिव्रत स्त्री उपेक्षा का शिकार

हो जाती है, बदलते सामाजिक दौर में घरेलू हिंसा का एक नया रूप इसका प्रमाण है। आधुनिक युग के संवाहक विज्ञान ने भी आधुनिक तरीके से नारी की दशा पर प्रहार ही किया है। वैज्ञानिक प्रगति नारी के दमन, शोषण एवं उपेक्षा का हथियार ही नहीं अपितु उसके अस्तित्व पर आज सबसे बड़ा संकट है।

बदलते परिवेश में भले ही नारी ने अपना स्वतः अस्तित्व कायम कर लिया है। लेकिन अस्मिता का प्रश्न अभी भी उसके सामने खड़ा है।" १६ दिसम्बर २०१२ को दिल्ली में एक छात्रा की गैंगरेप के पश्चात् अमानवीय बर्बरतापूर्ण हत्या ने न केवल जीवन जीने के अधिकार को कलुषित किया वरन् महिला अस्मिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया।" ऐसे में महिला न घर में सुरक्षित है न बाहर यह कैसा सशक्तिकरण?

वास्तविकता यह है कि महिला विकास एवं महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बावजूद भारत लैंगिक समानता के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े १० देशों में से एक है। ताजा लिंगभेद सूचकांक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार देश में अब भी महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। महिला विकास सम्बन्धी सूची में भारत को १७६ राष्ट्रों की सूची में १३८वाँ स्थान प्राप्त है। महिला विकास की दृष्टि से १३१ राष्ट् भारत के बेहतर स्थिति में है।" महिला कल्याण, विकास, सशक्तिकरण हेतु समाज में व्याप्त विभेदों एवं असमानताओं को दूर करने संदर्भित संवैधानिक प्रावधानों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बावजूद आधुनिक काल में भी नारी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:-

महिला विकास के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती पुरूष प्रधान समाज है। पुरूष सत्तात्मक भारतीय समाज में महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष नहीं मानकर उनके आधीन माना गया है। इस मानसिकता के कारण ही महिलाओं को कतिपय पूर्वाग्रह एवं निग्योग्यताओं के साथ देखा जाता है।

महिला विकास में व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वतंत्रता के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिला विकास असम्भव है। आर्थिक परतंत्रता के कारण ही पुरूष वर्ग ने उस पर अधिकार जमाया है।

सामाजिक पूर्वाग्रह एवं परम्परावादी समाज में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता को वर्जित माना जाता है।

दिन प्रतिदिन देश में बढ़ते अनैतिक एवं हिंसक वातावरण के कारण समाज में असुरक्षा का भय व्याप्त होता जा रहा है, जिसके कारण महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पा रही है।"[१७] महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। असुरक्षा के इस वातावरण से महिला सक्रियता बाधित हुई है।

पारिवारिक उत्तरदायित्व महिला विकास एवं नेतृत्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती है।

अवसर की अनुलब्धता के कारण महिलाएं समाज के विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई है। महिला विकास के लिए महिलाओं को शिक्षा, पोषण, चिकित्सा, रोजगार, राजनीति प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से अवसर उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि यदि आधी आबादी विकास की कड़ी से नहीं जुड़ती तो विकास अधूरा रह जाता है।

जनसंख्या वृद्धि महिला विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। अतः इस समस्या के निदान के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन आवश्यक है। लेकिन इसके सार्थक परिणाम सामने नहीं आए हैं।

महिला विकास के मार्ग में अशिक्षा एक मूल बाधा है। वास्तव में शिक्षा सोच को परिष्कृत एवं विकसित करती है। ऐसा कहा गया है कि शिक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से महिला विकास सम्भव नहीं है।"

भूमण्डलीकरण महिला विकास की प्रक्रिया के समक्ष चुनौती है और इसके नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत हुए हैं केवल विशिष्ट प्रवीण महिलाओं को इसका लाभ मिला है, सामान्य को नहीं।

राजनीति में महिलाओं की गौण क्रियाशीलता एवं उनमें राजनैतिक महत्वाकांक्षा के अभाव ने भी महिला विकास को सीमित किया है।

समाज में महिलाओं के उत्थान हेतु निरन्तर किये गये प्रयासों ने निःसंदेह विज्ञान तकनीकी शिक्षा, राजनीति, मीडिया, न्यायिक आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, सेवा, चिकित्सा सभी भागों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की सम्पत्ति में पुत्रों के समान उन्हें भी अधिकार प्रदान किया गया, महिलाएँ अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हुई है तथा अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रदर्शन भी किया है। लेकिन इस स्तर पर पहुंचने में महिलाओं को दीर्घकाल तक संघर्ष करना पड़ा है तब कहीं जाकर सामाजिक राजनैतिक तथा कुछ हद तक आर्थिक क्षेत्र में वे पुरूषों के साथ समान रूप से सहभागी होकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारतीय राजनीति एवं निर्णय प्रक्रिया में यद्यपि महिलाओं की संख्या अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी इस रूढ़िवादी देश में लोकतंत्र के विकास एवं पल्लवन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।'' लोकतंत्रीकरण की अर्ध सदी गुजर जाने के बावजूद भी भारतीय लोकतंत्र में समाज की आधी आबादी को जो हिस्सा एवं दर्जा मिलना चाहिए था वह अभी भी उससे वंचित हैं समस्त प्रयासों के उपरान्त महिला सशक्तिकरण का प्रश्न राजनीतिक, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक उन्नयन की मुख्य धारा के साथ जुड़ नहीं पाया है।

महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बावजूद वास्तविकता यह है कि भारत लैंगिक, समानता के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक है। महिलाओं की दशा व दिशा सुधारने के लिए भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में विशेष रूप से सत्ता के गलियारे में स्थान बनाने की दिशा में एक सदी के आंदोलन के पश्चात् महिलाओं को थोड़ी जगह मिली है। दुनिया भर की महिलाएँ और संगठन ८ मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज बुलन्द करते हैं। उनको सशक्त बनाने के लिए आवाज बुलन्द करते हैं, ताकि उनका हक प्राप्त हो सके। इतने प्रयासों के बावजूद भी महिला, सशक्तिकरण आंदोलन को सही दिशा व गति अभी तक नहीं मिल पाई है आज भी इस दिशा में अनेक चुनौतियां हैं अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक ढाँचा एवं सामन्तवादी सोच, लिंगीय भेदभाव, अभाव या गरीबी असमानता और अन्याय, मूल्यों का अभाव या संकट तथा समग्र विकास का अभाव इन बाधाओं को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा तक महिलाओं की अधिकाधिक पहुंच को सुनिश्चित किया जाएं शिक्षा के पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाये। राजनैतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन लाये बिना महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, महिला मानवाधिकारों की रक्षा प्रत्येक दशा में की जाए। महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाए। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, लोकतंत्र स्थापित किया जाए, अशिक्षित गरीबी और ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता प्रसार हेतु सघन कार्यक्रम चलाये जायें। ये सभी प्रयास यदि पूरी ईमानदारी से किये जाए तब सही मायने में महिला सशक्तिकरण की धारणा सार्थक हो सकेगी और तभी समाज एवं राष्ट्र उन्नति कर सकेगा।

**संदर्भ-ग्रंथ**


१. शर्मा, पवन कुमार, ''महिला एवं मानवाधिकार एक अध्ययन, पृ. १९०
२. राठी, एस,जी. ''धर्म प्रबोधिनी एवं भगवत तत्व निरूपण, पृ. ५२८
३. शेण्डे हरिदास रामजी ''नारी सशक्तिकरण, पृ. १६
४. शर्मा, ब्रम्हदत्त ''गांधी'' चिन्तन में राष्ट्रवाद'', पृ. १४३
५. दैनिक भास्कर - अगस्त २००८, पृ. ०४
६. डॉ. मोदी, एम.पी. ''ए जर्नल ऑफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डवलपमेन्ट टवस ग्प्ट ;३द्ध २०१४, पृ. १३२